न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)राज0

अध्यासित द्वारा:– श्री गंगाधर मीणा (आर.ए.एस.)

अपील संख्या
01/22

प्रवेश तिथि
03.01.2022

निर्णय तिथि
06.12.2022

1. जैनू पुत्र ऐवज जाति मेव सा0 ग्राम घासोली तहसील किशनगढबास। :–अपीलान्ट

उनवान

बनाम

1. ग्राम पंचायत घासोली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत घासोली किशनगढबास जिला अलवर। :– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध इंतकाल संख्या 225 दिनांक 01.01.1983 वाके ग्राम खोहाबास ग्राम पंचायत घासोली तहसील किशनगढबास जिला अलवर।

.....

उपस्थितिः–

1. श्री मुहम्मद इमरान जी एडवोकेट अपीलान्ट की ओर से।
2. ग्राम पंचायत घासोली के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

–: निर्णयः–

उज्रात अपील के सूक्ष्म वृत्तांत निम्न प्रकार से हैः–

वकील अपीलांट ने अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत घासोली तहसील किशनगढबास में आराजी खसरा संख्या 768 रकबा 0–11 बिस्वा वाके ग्राम खोहाबास तहसील किशनगढबास स्थित है जो आराजी मिन अपीलान्ट जैनू व मंगल पुत्रान ऐवज मेव ने दिनांक 14.07.1981 को जरिये रजि0 बयनामा जग्गू, मन्दू, वजीरा पुत्रान बिशारत मेव से समभाग में खरीद की थी। यानि की हम दोनो भाई जैनू, मंगल पुत्रान ऐवज ने आराजी उक्त शामलात में खरीद की थी।

मिन अपीलान्ट ने अपना उक्त बयनामा वास्ते दर्ज इंतकाल पटवारी हल्का को दे दिया था तथा अपीलान्ट इस विश्वास में रहा कि पटवारी हल्का द्वारा बयनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज कर दिया होगा। मिन अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से कई बार सम्पर्क किया तो उन्होने कहा कि इन्तकाल दर्ज हो जावेगा। बाद में अपना असल बयनामा ले जाना। दिनांक 01.01.1983 को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कैम्प लगा था। उस समय भी अपीलान्ट ने इन्तकाल की बाबत् जानकारी की तो पटवारी हल्का व कानूनगों ने बताया कि आपका इन्तकाल दर्ज हुआ पडा है, जिसका आज फैसला हो जावेगा। इस पर अपीलान्ट अपना असल बयनामा लेकर अपने घर आ गया।

मिन अपीलान्ट दिनांक 25.11.21 को पटवारी हल्का के पास केडिट कार्ड की पत्रावली बनवाने गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि ख0न0 768 तो अकेले आपके भाई मंगल की खातेदारी में दर्ज हैं। तो मैंने पटवारी हल्का से हमारे बयनामा के आधार पर जो इन्तकाल दर्ज हुआ है उसकी जानकारी की तो पता चला कि बयनामा का इन्तकाल अकेले मंगल के नाम से ही दर्ज हुआ है पटवारी हल्का ने सहवन से मिन अपीलान्ट का नाम इन्तकाल में दर्ज नहीं किया। इसके पश्चात मिन अपीलान्ट ने अपने वकील साहब से सम्पर्क किया तो उन्होनें समस्त रिकॉर्ड की नकले लेकर इन्तकाल की अपील दायर करने की सलाह दी। जिसके लिए अपील हाजा दायर करना लाजिम आया है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेन्ट का जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत घासोली बावजूद सूचना उपस्थित नहीं, एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील अपीलांट को सर्वप्रथम दफा–5 पर सुना गया। तथा वकील अपीलांट ने दफा–5 प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों तथा मूल अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र दफा–5 स्वीकार कर अपील अपीलांट भी स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपांत अवलोकन किया चूंकि इन्तकाल नं0 225 का निर्णय दिनांक 01.01.1983 को किया गया था जो काफी पुराना निर्णय है। चूंकि पक्षकारान गांव के निवासी हैं जिन्हें इंतकाल वगैरह का ज्ञान नहीं होने के कारण उसकी प्रतिलिपि प्राप्त नहीं की जिससे पता चल सके कि इंतकाल सभी पक्षकारान के अमल आया या नहीं। पता चलने पर प्रार्थी ने अपील दफा–5 के साथ पेश कर दी। जो उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दफा–5 कानूनी मियाद स्वीकार फरमाया जाता है। दिनांक 01.01.1983 से 25.11.2021 तक की अवधि किया जाकर अपील अपीलांट तसब्बुर की जाती है। तथा पत्रावली में संलग्न बयनामा दिनांक 14.07.1981 से साबित है कि विवादित आराजी ख़सरा संख्या 768 रकबा 0.11 बिस्वा वाके ग्राम घासोली जैनू व मंगल पुत्रान ऐवज मेव ने खरीद की थी लेकिन ग्राम पंचायत घासोली का आदेश दिनांक 01.01.1983 बाबत इंतकाल संख्या 225 में मुताबिक बयनामा नामांतकरण स्वीकृत नहीं हुआ। पत्रावली में संलग्न इंतकाल से भी यह बाखूबी सिद्ध होता है कि खरीदशुदा आराजी का इंतकाल अपीलांट के नाम नहीं आया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:–

अपीलांट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र दफा–5 स्वीकार किया जाता है। साथ ही अपीलांट द्वारा पेश अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत घासोली का निर्णय बाबत इंतकाल संख्या 225 खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार किशनगढ़बास को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक बैयनामा दिनांक 14.07.1981 के आधार पर वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामांतकरण की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढ़बास को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
किशनगढ़बास (अलवर)